न्यायालय जिला कलक्टर, बारां (राज0)

पीठासीन अधिकारीः श्री नरेन्द्र गुप्ता (आई.ए.एस.)

[illegible]करण संख्या 12/2014

बउनवान

दौलतप्रकाश पुत्र श्री गिरधारीलाल जाति ब्राह्मण उम्र 66 साल निवासी लाल भैरूजी के पास तालाबपाड़ा बारां जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

1. ओमप्रकाश पुत्र श्री मोहनलाल जाति ब्राह्मण उम्र 50 साल निवासी मुरलीजी के मंदिर के पास मण्डोला वार्ड बारां
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बारां

(रेंस्पोडेंटगण)

अपील बनाराजगी आदेश दिनांक 25.04.2014 न्यायालय तहसीलदार बारां, नामान्तरकरण संख्या 564 बाबत विभाजन इजराय कार्यवाही संख्या 35/09 उपखण्ड अधिकारी बारां मुताबिक डिक्री

उपस्थिति :— 1. श्री हरिओम चर्तुवेदी अभिभाषक **(अपीलांट)**

2. श्री महेश प्रकाश गौत्तम **(रेस्पो. क्रम 1)**

जिला कलेक्टर न्यायालय बारां (राज0)

निर्णय दिनांक 20.04.2022

अपीलांट द्वारा जर्ये अभिभाषक प्रस्तुत अपील संक्षेप में इस प्रकार है कि ग्राम गोपालपुरा तहसील बारां में आराजी खसरा नं. 138 रकबा 0.34 है., 139 रकबा 0.12 है., 140 रकबा 0.57 है. कुल किता 3 रकबा 1.03 है. को विभाजित करवाने के लिये रेस्पो./वादी ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां के यहां पेश किया तथा बिना अपीलांट/प्रतिवादी को तामील कराये एकतरफा कार्यवाही कर डिक्री प्राप्त कर ली जिसे संबंधित इजराय संख्या 35/2009 अधीनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत हुई तथा हल्का पटवारी ने दिनांक 22.12.2009 को इस बाबत नामान्तरकरण पेश किया। उक्त नामान्तकरण तब से विचाराधीन रहा तथा प्रकरण विभिन्न न्यायालयों में कई प्रकार से विभिन्न स्तर पर विचाराधीन रहा। प्रकरण में मूल विवाद भूमि के विभाजन का है जिससे संबंधित विभाजन का वाद न्यायालय में पेश हुआ तथा विवादित नामा. से विवादित आराजी का विभाजन स्वीकार किया गया। अपीलांट/प्रतिवादी को उक्त एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.10.2009 तथा अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 की जानकारी होने पर न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी [illegible] पृथक पृथक अपीले पेश की जो प्रकरण संख्या 87/11 दौलतप्रकाश बनाम ओम[illegible]रम्भिक डिक्री दिनांक 06.10.2009 के विरूद्ध एवं प्रकरण संख्या 12/201[illegible] 09.12.2009 के विरूद्ध निर्णय दिनांक 24.02.2011 को स्वीकार हुई तथा इजराय संख्या [illegible] से संबंधित निर्णय[illegible]की निरस्त हो चुकी है ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने ना[illegible] स्वीकार कर त्रुटि [illegible] अतः अपील स्वीकार की जाकर नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 25.04.2014 निरस्त फरमाया जावे।

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर बारां (राज0)

उक्त अपील पेश होने पर नियमानुसार दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को तलब किया गया। रेस्पो0 क्रम 1 जर्ये अभिभाषक उपस्थित हुए तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण बहस हेतु नियत किया गया।

सर्वप्रथम मियाद के बिन्दु पर अभिभाषक अपीलांट को सुना गया। न्याय हित में प्रार्थना धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुई देरी को क्षमा किया जाता है।

हमने बहस उभयपक्ष विद्वान अभिभाषकगण सुनी। दौराने बहस वकील अपीलांट ने अपील में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि अपीलांट व रेस्पोडेंट के संयुक्त खाते के विभाजन का वाद रेस्पो./वादी ने न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां में पेश किया जिसमें अपीलांट/वादी को तामील कराये बिना एकतरफा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.10.2009 एवं अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 पारित करवाकर इजराय संख्या 35/09 अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 की पालनार्थ पेश की। जिसके आधार पर पटवारी हल्का ने नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 22.12.2009 को दर्ज किया। तत्पश्चात अपीलांट/प्रतिवादी को उक्त एकतरफा डिक्री की जानकारी होने पर उसके द्वारा न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के यहां प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री की दो पृथक पृथक अपीलें पेश की जो क्रमशः निर्णय दिनांक 17.01.2013 एवं 24.2.2011 से अपील स्वीकार कर पुनः सुनवाई हेतु रिमाण्ड की गयी। इस प्रकार अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 24.02.2011 से निरस्त होने के पश्चात भी अधीनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तरकरण संख्या 564 दिनांक 25.04.2014 को विधिविरूद्ध तरीके से तस्दीक किया। अतः उक्त नामान्तरकरण निरस्त फरमाया जावे।

दौराने बहस वकील रेस्पो0 क्रम 1 ने कथन किया कि नामान्तरकरण संख्या माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा डी.बी.सिविल स्पेशल अपील नं. 1183/2011 बउनवान दौलतप्रकाश बनाम बोर्ड ऑफ रेवेन्यू व अन्य में पारित आदेश दिनांक 04.04.2014 द्वारा प्रकरण में जारी स्थगन आदेश निरस्त होने पर सही रूप से तस्दीक किया गया है। अतः अपीलांट की अपील खारिज की जावे।

हमने बहस उभयपक्ष पर मनन किया तथा सम्पूर्ण पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। ग्राम गोपालपुरा का विवादित नामान्तरकरण संख्या 564 उपखण्ड अधिकारी, बारां की अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 के आधार पर पटवारी हल्का द्वारा दिनांक 22.12.2009 को खोला गया तथा दिनांक 25.04.2014 को माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर के खण्डपीठ के निर्णय दिनांक 04.04.2014 से स्थगन खारिज होने पर स्वीकार किया गया। उपखण्ड अधिकारी द्वारा पारित प्रारम्भिक एवं अन्तिम डिक्री की अपील न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा में किये जाने पर न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा के प्रारम्भिक डिक्री के विरूद्ध की गयी अपील में निर्णय दिनांक 17.01.2013 व अन्तिम डिक्री के विरूद्ध की गयी अपील में निर्णय दिनांक 24.02.2011 से अपील स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी, बारां के प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 06.10.2009 व अन्तिम डिक्री के निर्णय दिनांक 09.12.2009 को अपास्त किया जाकर निर्णय दिनांक 17.01.2013 द्वारा प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया गया कि उभयपक्षकारान को सुनवायी एवं साक्ष्य का समुचित अवसर प्रदान कर प्रकरण का नये सिरे से पुनः निर्णय पारित करें। अंतिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 के विरूद्ध प्रस्तुत अपील में पारित निर्णय दिनांक 24.02.2011 से उक्त निर्णय व डिक्री दिनांक 09.12.2009 अपास्त की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस दिशा निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया कि राजस्व मंडल नियम 18 से 21 के अनुसार पुनः तहसीलदार बारां से बंटवारा प्रस्ताव प्राप्त कर बंटवारा प्रस्ताव पर उभयपक्ष को आपत्ति प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान कर नये सिरे से विधि सम्मत

Signature Not Verified
Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested

जिला कलक्टर
बारां (राज०)

पारित करें। माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर खण्डपीठ द्वारा पारित निर्णय दिनांक 04.04.2014 में अपीलांट द्वारा सिर्फ स्वंय के नाम जारी पट्टे की अपील खारिज की है अर्थात् विवादित भूमि का पट्टा अपीलांट व रेस्पो. क्रम 1 दोनो के हक में जारी किये जाने में कोई त्रुटि होना नहीं माना गया है।

परन्तु चूंकि प्रश्नगत नामान्तरकरण उपखण्ड अधिकारी, बारां की अन्तिम डिक्री दिनांक 09.12.2009 के आधार पर भरा गया तथा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के निर्णय दिनांक 24.02.2011 से उपखण्ड अधिकारी, बारां के उक्त निर्णय/डिक्री दिनांक 09.12.2009 को अपास्त किया जा चुका है। ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त नामान्तरकरण को स्वीकार करने में त्रुटि की है।

अतः अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, बारां द्वारा न्यायालय राजस्व अपील अधिकारी, कोटा के पारित निर्णय के क्रम में पारित निर्णयानुसार अग्रिम कार्यवाही करें।

निर्णय आज दिनांक 20.04.2022 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बारां (राज०)

(नरेन्द्र गुप्ता)
जिला कलक्टर, बारा

जिला कलक्टर बारां (राज०)

Signature Not Verified

Digitally signed by Narendra Gupta
Date: 2022.05.10 11:58:29 IST
Reason: SelfAttested